(i) grant of second instalment of Interim Relief;

(ii) merger of further portion of Dearness Allowance with pay. These demans were discussed in the meeting of National Council (JCM) held on 26.11.94. A consensus was reached that Government will be moved to request the 5th Central Pay Commission to look into the demands of the Staff Side relating to grant of second instalment of interim relief and merger of a portion of dearness allowance with pay.

The Government have made the necessary reference to the Pay Commission on 12.1.95.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) The Pay Commission is expected to submit its Report as soon as feasible.

Recovery of debts due to banks and Financial Institutions

4383. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi High Court has quashed Government notification for setting up a Debt Recovery Tribunal in Delhi under the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act ,1993; and

(b) if so, the details and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) Yes Sir, The Hon'ble Delhi High Court in its orders dated 10.3.95 has quashed the notification dated 5th July, 1994 constituting the Debts Recovery Tribunal Delhi under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 mainly on the grounds that the Act is unconstitutional as it erodes the independence of Judiciary and is irrational, discriminatory, unreasonable arbitrary and is violative of Article 14 the the Constitution.

Government Has filed an SLP before the Hon'ble Supreme Court against the orders passed by the Delhi High Court. The Hon'ble Supreme Court in its order dated 21.4.95 has admitted the SLP and stayed the orders passed by the Delhi High Court.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को बेचकर एकत्रित की गई राशि

4384. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में संचालित अनेक संस्थानों के शेयर खुले बाजार में बेचकर अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 में यह लक्ष्य क्या था और क्या इसे प्राप्त कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेचकर कुल कितनी राशि प्राप्त की गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने का प्रमुख कारण शेयर बेचने हेतु अपनाई गई क्रियाविधि थी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार इस क्रियाविधि में संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इन प्रस्तावित संशोधनों में पारदर्शिता तथा छोटे निवेशकों को प्राथमिकता देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : : (क) से (ग) जी, नहीं। वित्तअधिनियम 1993-94 के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के चुनिन्दा उपक्रमों में शेयरों के विनिवेश के माध्यम से सरकार द्वारा 3500 करोड़ रुपए के संग्रहण की परिकल्पना की गई थी । तथापि, सरकार द्वारा 1993-94 के दौरान सरकारी शेयरों की बिक्री के माध्यम से कोई संग्रहण नहीं किया गया । 1993-94 में हुई एक नीलामी के संबंध में 1994-95 में 2282.10 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की गई थी ।

(घ) से (च) सरकारी शेयरों का विनिवेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है । जहां कहीं शेयर नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं, सरकार निजी निवेशकों सहित सभी पात्र व्यक्तियों से बोलियां आमंत्रित करती है । छोटे निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर भागीदारी को सुकर बनाने के लिए न्यूनतम बोली मूल्य 100 शेयर अथवा 25000 रुपए जो भी अधिक हो, रखा जाता है ।

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन

4385. श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है यदि हां, तो क्या समिति ने अपने प्रतिवेदन में फिल्मी सितारों पर बकाया आयकर राशि के संबंध में कोई आंकड़ा प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह आंकड़ा क्या है तथा फिल्मी सितारों पर बकाया आयकर राशि का आंकड़ा प्राप्त होने उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद उक्त राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने संबंधित फिल्मी सितारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की हैं एवं अब तक कितने फिल्मी सितारों से आयकर प्राप्त हो चुका हैं और कितने फिल्मी सितारों से आयकर वसूल किया जाना शेष है ; और

(ग) यदि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं तथा मध्यवर्गीय आयकर दाता, सरकारी/गैर-सरकारी आयकरदाताओं के प्रति सरकार का क्या रुख है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की कार्यप्रणाली से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति--इसकी लोक सभा-को 10वीं रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है जिसे लोक सभा में पेश किया गया था और 14-2-1995 को इसे राज्य सभा में भी रखा गया था। परन्तु, समिति ने फिल्मी सितारों की तरफ आयकर की बकाया धनराशि के बारे में कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Indo-Japanese Economic Cooperation

4386. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are to receive Japanese credit for reforms under the Indo-Japanese economic cooperation;

(b) if so, what are the details thereof stating the conditionalities of the Japanese credit; and